

**भा.कृ.अनु.प.— केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान,
अमरावती रोड, नागपुर — 440033
नीलामी सूचना संख्या 03/2025-26/968**

केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर में स्थित मोसंबी ब्लॉक नं. 13, 15, 16, 17, एवं 18 इत्यादी में स्थित पौधों पर लगे मोसंबी फलों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 21.08.2025 को दोपहर 2.00 बजे की जायेगी, इस संबंध में इच्छुक ठेकेदार मोसंबी की खरीददारी हेतु कार्यालय समय 10 बजे से 5 बजे तक मोसंबी फलों को निरीक्षण कर कीमत को दिनांक 21.08.2025 को पूरी तहर से भरकर रु. 5,000/- की सुरक्षा निधी के साथ (ई.एम.डी.) डी.डी. [ICAR Unit CCRI Nagpur के नाम] आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. आफिस में जमा करना होगा। जिसे अपराह्न 2.00 बजे ठेकेदारों के सामने खोला जायेगा।

नीलामी निम्नलिखित नियमों व शर्तों के आधार पर होगी।

कोटेशन भरने वाले ठेकेदार को रु. 5,000/- (रु. पाँच हजार रुपये मात्र) धरोहर राशि का डी.डी. आई.सी.ए.आर. यूनीट सी.सी.आर आई. नागपुर [ICAR Unit CCRI, Nagpur] के नाम बना कर जमा करना होगा जो कि निदेशक, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. द्वारा सर्वाधिक बोली स्वीकार करने पर सफल ठेकेदार को छोड़कर अन्य लोगों को वापस कर दी जायेगी।

- सफल बोली स्वीकार्य व्यक्ति को नीलामी राशि की रकम तुरंत जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसकी ईएमडी भी जप्त कर ली जायेगी।
- पूरी राशि जमा करने पर ही उसे नीलाम किये गये मोसंबी फलों को तोड़ने की अनुमति दी जायेगी।
- नीलाम किये गये मोसंबी फलों को ठेकेदार द्वारा 14/11/2025 तक उसे अपने श्रमिकों से तोड़ना होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित समय में मोसंबी के फलों को आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. से ले जाने में असमर्थ रहता है और निदेशक महोदय उसे अनुमति नहीं देते तो वह मोसंबी फलों को नहीं ले जा सकेगा और इसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
- मूल्य निर्धारण कीमत कोटेशन खोलने के पश्चात घोषित की जायेगी।
- नीलामी किये गये मोसंबी के फलों को आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. से बाहर ले जाने हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारी/फार्म अधीक्षक की सहायता से गेट पास जारी की जायेगी।
- ठेकेदार मोसंबी के फलों को चोरी से बचाने के उपाय स्वयं करेगा। कार्यालय इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- फार्म पर बिक्री काउंटर नहीं खोलने दिया जायेगा।
- मोसंबी के ब्लॉकों में से फल तोड़ने से पहले जान ले की अनुसंधान हेतु लिये जाने वाले फल तोड़े गये हैं या नहीं।

- मोसंबी के ब्लॉक नं. 13,15,16,17 एवं 18 आदि प्रत्येक ब्लॉक में 2 (दो) फल लगे पौधे प्रत्येक लाईन में अनुसंधान प्रयोग हेतु छोड़ना होगा।
- संस्थान के निदेशक महोदय को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- नीलामी के समय परिस्थिती को ध्यान में रखकर निदेशक महोदय को शर्तों में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार होगा।
- खराब तथा नीचे गिरे हुये मोसंबी फलों को ठेकेदार को हटाना होगा।
- ठेकेदार को बयाना (ई.एम.डी.) राशि वापस लेने के लिए फार्म प्रभारी/सहा. फार्म प्रभारी/फार्म अधीक्षक से ना हरकत प्रमाणपत्र लेकर कार्यालय में जमा करना होगा।
- शनिवार रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन फलों को तोड़ने दिया जायेगा लेकिन उन्हे बाहर ले जाने की अनुमती नहीं दी जायेगी।
- मजदूरों के किसी भी अप्रिय घटना का जिम्मेदार खुद ठेकेदार होगा, कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा।
- 60 Kg मोसंबी अनुसंधान हेतु छोड़ना होगा।



प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी
आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर

प्रतिलिपी:

1. डॉ. नरेश मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, फार्म प्रभारी एवं सतर्कता अधिकारी, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
2. डॉ. दर्शन कदम, वैज्ञानिक एवं सहायक फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
3. श्री. वी.पी. भालाधरे, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी/ फार्म अधीक्षक आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई. नागपुर।
4. डॉ. सुनील कुमार यु.टी., मुख्य तकनीकी अधिकारी तथा इस्टेट ऑफिसर, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
5. वित्त एवं लेखा अधिकारी, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
6. कॅश अॅण्ड बिल सेक्शन, आई.सी.ए.आर.-सी.सी.आर.आई., नागपुर।
7. नॅशनल प्रोटेक्टिव सिक्यूरिटी सर्विसेस, 102 दिपीका अरीहन्त कोहीनूर अपार्टमेंट, त्रिमुर्ति नगर, नागपुर 440022।
8. श्री डी. डी. बॅनर्जी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, उपरोक्त नीलामी सूचना संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।